अधिसूचना   नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016,

सं0 20/2016- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि.   (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाना) नियम, 2001 का अधिक्रांत करते हुए, ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गई बातों या किए गए लोप के सिवाए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1.   संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाना) नियम, 2016 है ।

(2) ये संपूर्ण भारत को विस्तारित हैं ।

(3) ये 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना–ये नियम ऐसे विनिर्माता को लागू होंगे जो ऐसा उत्पाद शुल्क्य माल जब उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाए, को शुल्क की छूट देने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपबधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना का फायदा उठाना चाहता है ।

परंतु छूट प्राप्त माल या गैर उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माता सहित अरजिस्ट्रीकृत विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों का फायदा लेने का पात्र होगा ।

3. परिभाषाएं–इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) "आवेदक विनिर्माता" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो शुल्क के रियायती दर पर विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए माल प्राप्त करना चाहता है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "सूचना" से आवेदक विनिर्माता द्वारा प्ररुप-1 में उपबंधित सूचना अभिप्रेत है;

(ङ़) "विषय माल" से ऐसा उत्पाद शुल्क्य माल अभिप्रेत है जिसे आवेदक विनिर्माता शुल्क की रियायती दर पर उपाप्त करना चाहता है;

(च) "प्रदायकर्ता विनिर्माता" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो आवेदक निर्माता को शुल्क के रियायती दर पर उत्पाद शुल्क्य माल का प्रदाय करता है;

(छ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में और उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उसने उनके हैं ।

4. फायदा अभिप्राप्त करने के लिए आवेदक विनिर्माता द्वारा सूचना - (1) आवेदक निर्माता यथास्थिति अधिकारितागत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् सहायक आयुक्त या उपायुक्त कहा गया है) को प्ररूप-1 में अनुलिपि में सूचना उपलब्ध कराएगा और सहायक आयुक्त या उपायुक्त प्रदायकर्ता विनिर्माता के अधिकारितागत रेंज अधीक्षक को सूचना की एक प्रति अग्रेषित करेगा ।

(2) आवेदक विनिर्माता प्रत्येक वित्त वर्ष में उपनियम (1) के अधीन फाइल की गई सूचना को संख्यांकित करेगा ।

(3) आवेदक विनिर्माता विषय माल के प्रत्येक प्रदायकर्ता विनिर्माता की बाबत पृथक सूचना उपलब्ध करा सकेगा या प्ररूप-1 में उन प्रत्येक के ब्यौरे के साथ बहुल प्रदायकर्ता विनिर्माताओं की सम्मिलित सूचना उपलब्ध करा सकेगा ।

(4) आवेदक विनिर्माता एक वर्ष या कम की अवधि के लिए विनिर्माण प्रक्रिया में प्रत्याशित उपभोग के अनुरूप मात्रा में विषय माल प्राप्त करने की समय-समय पर सूचना उपलब्ध कराएगा ।

(5) आवेदक विनिर्माता प्रतिभू या प्रतिभूति के साथ सामान्य बंधपत्र निष्पादित करेगा;

परंतु ऐसे आवेदक विनिर्माता, जिनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं की गई है या जहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 12गगग या सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 12कककक के अनुसरण में जारी किसी अधिसूचना के अधीन कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है, द्वारा वचनपत्र उपलब्ध कराना पर्याप्त होगा ।

(6) आवेदक विनिर्माता विषय माल उपाप्त कराने के लिए प्रदायकर्ता विनिर्माता को उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित सूचना की प्रति अग्रेषित करेगा ।

5. विषय माल के प्रदायकर्ता विनिर्माता द्‌वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-(1) प्रदायकर्ता विनिर्माता उपनियम (6) या नियम 5 के अधीन उसके द्‌वारा प्राप्त सूचना के आधार पर इस अधिसूचना का फायदा उठाएगा ।

(2) प्रदायकर्ता विनिर्माता उपनियम (1) के अधीन प्राप्त सूचना जिसके आधार पर माल को हटाया गया, हटाये जाने का ब्यौरा जैसे बीजक संख्यां और तारीख, विवरण, मात्रा और विषय माल का मूल्य और रियायती दर पर संदत्त उत्‌पाद शुल्क की रकम का अभिलेख बनाए रखेगा और इसे अपने अभिलेखों में प्रतिधारित करेगा ।

6. आवेदक विनिर्माता का तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना–आवेदक विनिर्माता विषय माल प्राप्त करने पर, विषय माल की मात्रा और मूल्य, आशयित प्रयोजन के लिए उपभोग की गई विषय माल की मात्रा और बीजक-वार स्टॉक में शेष मात्रा उपदर्शित करते हुए लेखा बनाए रखेगा और वित्त वर्ष के आगामी प्रत्येक तिमाही मास के दसवें दिन तक सहायक आयुक्त या उपआयुक्त प्ररूप-2 में ऐसे अभिलेखों के आधार पर तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

7. कतिपय मामलों में शुल्क की वसूली–जहां आवेदक विनिर्माता द्‌वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रदायकर्ता विनिर्माता द्‌वारा निकासी किए गए माल का उपयोग आशयित प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है वहां आवेदक विनिर्माता ऐसे माल पर छूट के अतिरिक्त उदग्रहणीय शुल्क और ब्याज के साथ विषय माल के प्रदायकर्ता विनिर्माता कारखाने से हटाने के समय पहले से ही संदत्त यदि कोई है के बीच अंतर के समान रकम देने का दायी होगा और शुल्क की मांग करने के लिए उक्त धारा में वर्णित समय सीमा के सिवाए धारा 11क के उपबंध और अधिनियम की धारा 11कक ऐसी वसूलियों को प्रभावी बनाने के लिए यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

परंतु जहां आवेदक विनिर्माता को अस्तित्वहीन पाया जाता है वहां प्रदायकर्ता विनिर्माता कारखाने से हटाने के समय पहले से ही संदत्त यदि कोई है के बीच अंतर के समान रकम देने का दायी होगा और शुल्क की मांग करने के लिए उक्त धारा में वर्णित समय सीमा के सिवाए धारा 11क के उपबंध और अधिनियम की धारा 11कक ऐसी वसूलियों को प्रभावी बनाने के लिए यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

परंतु यह और कि यदि प्राप्ति पर विषय माल त्रुटिपूर्ण या क्षतिग्रस्त या अनुपयुक्त या आवेदक विनिर्माता की आवश्यकताओं से अधिशेष पाया जाता है तो वह प्रदायकर्ता विनिर्माता को विषय माल वापस कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा वापस किया गया माल प्रदायकर्ता विनिर्माता के गैर शुल्क संदत्त स्टॉक में जोड़ा जाएगा ।

स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि विषय माल को आशयित प्रयोजन के लिए प्रयुक्त न किया समझा जाएगा यदि विषय माल की कोई मात्रा आवेदक विनिर्माता उपापन के स्थान से आवेदक विनिर्माता के परिसर या प्रदायकर्ता विनिर्माता के परिसर से उपापन के स्थान को या आवेदक विनिर्माता के परिसर में हथलाई या भंडारण के दौरान खो गई या प्राकृतिक कारणों से या अपरिहार्य दुर्घटना द्‌वारा ध्वस्त हो गई है ।

प्ररूप 1

[नियम 4(1) और (3) देखें]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद-शुल्क्य और अन्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाना) नियम, 2016 के अधीन सूचना

सेवा में,

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या उपायुक्त,

प्रभाग...................,

महोदय,

हम अपने कारखाने में माल के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए शुल्क की छूट का फायदा उठाना चाहते हैं । उपाप्त किए जाने वाले प्रस्तावित माल मात्रा, माफी शुल्क, अधिसूचना की क्रम संख्या जिसके अधीन छूट का फायदा उठाया जाना आशयित है, आवश्यक अनुमानित मात्रा, प्रदायकर्ता विनिर्माता के ब्यौरे जिनसे माल उपाप्त किया जाना प्रस्तावित है और तैयार माल विनिर्मित किया जाना प्रस्तावित है के ब्यौरे यहा संलग्न है । हम यथाअपेक्षित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (उत्पाद-शुल्क्य और अन्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाना) नियम, 2016 का पालन करने और उक्त नियम में विनिर्दिष्ट शर्तों के निबंधनानुसार विषय माल के उपयोग का वचन देते हैं ।

(2) हम शर्तों का पालने करने की असफलता की दशा में, पूर्वोक्त नियम के अधीन छूट को छोड़कर विषय माल की ऐसी मात्रा पर उदग्रहणीय शुल्क और मांग के अनुसार ब्याज और शास्ति के साथ हटाने के समय पहले से ही संदत्त शुल्क के बीच अंतर के समान रकम मांग करने पर देने का वचन देते हैं । हमने आवश्यक वचनपत्र और प्रतिभू सहित बंधपत्र निष्पादित किया है ।

तारीख :	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर तथा मुहर और परिसर का पता
स्थान:	(रजिस्ट्रीकरण संख्यां) (बहु प्रदायकर्ता विनिर्माता के लिए उपयुक्त संशोधन करें)

प्ररूप 2

[नियम 6 देखें]

क्रम सं0	विषय माल का विवरण	ब्यौरे				अंतिम अतिशेष	विनिर्मित माल	
		आरंभिक अतिशेष	प्राप्त	स्तंभ (3) और (4) का योग	आशयित प्रयोजन के लिए उपभोग की गई मात्रा		प्रकृति	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

टिप्पण:-- (1) उपयोग की गई और विनिर्मित माल के विभिन्न किस्म या माल के लिए पृथक प्रविष्टि की जाए ।

(2) जारी सूचना की संक्षिप्त सारणी और उसकी प्रति संलग्न की जाए ।

मैं/हम घोषित करता हूं/घोषित करते हैं कि मैं/हम ने अभिलेख (और)/अपने कारखाने की बही से उपरोक्त विशिष्टियों का मिलान कर लिया है और वे जहां तक मैं/हम सुनिश्चित कर सकते हैं, सही और पूरी हैं ।

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/विनिर्माता का मोटे अक्षरों में नाम

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार